

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 89 अ-82/17-18 भू-अर्जन मौजा कचरबोह बैतूल दिनांक 31/08/2018
ईशतहार 10681


म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पसतलई लघु जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होन के कारण ग्राम कचरबोह प.ह.न. 57 तहसील आमला जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नबरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं:-

स.क्र.	खसरा नं.	रकबा हे.में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
1	217/1	1.893	0.700	अन्तराम पिंटू व. छननू
2	217/2	2.109	0.950	इमरलाल हमीलाल देवीलाल व. खनू मुन्नीलाल ना.बा.व. खनू वली भाई इमरतलाल
3	217/3	0.405	0.450	छननू शम्भू
4	218/1	1.396	1.396	कैलाश पिता जोगीलाल
5	218/2	1.000	1.000	सुक्कु पिता श्यामलाल
6	216/14	0.430	0.060	मनक व. लोधू
	216/18	0.560	0.110	
7	216/1	0.182	0.050	अजबा बेवा सकडु हजारी वल्द सकडु जाति गोंड
8	216/25	0.182	0.050	दुर्जन व. रामू जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
9	167/1	1.000	0.200	गजानंद व. बालकिशन
10	167/2	0.433	0.200	भागरती जौ. ओमकार
11	216/3	0.780	0.070	गितेश सतीश गुलाब व. हनस हनस व. लोधू
	216/19	0.700	0.700	
	216/17	0.530	0.130	

स.क.	खसरा नं.	रकबा हे.में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
12	216/16	0.500	0.300	रूपेश ना.बा.व. मनक वली पिता मनक मनक व. लोधू
	216/20	0.270	0.270	
कुल योग			6.636	

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम कचरबोह तहसील आमला की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल 6.636 हे. भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30.9.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर


जिला बैतूल (म.प्र.)



पृ0क0 89 अ-82/वर्ष 17-18/कचरबोह/10681/ बैतूल दिनांक 31-08-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार आमला की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम कचरबोह तहसील आमला जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर,
बैतूल